

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 387/2021

1. विजय कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति बिश्नोई साकिन दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. अजय कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति बिश्नोई साकिन दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

--वादीगण

बनाम

1. श्रीमती अनुसूया पत्नी स्व. श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन पीलीबंगा हाल म.स. 6/14 वार्ड न. 05 जलदाय विभाग के पास हाउसिंग बोर्ड क0 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. आशीष मांझु पुत्र स्व. श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन पीलीबंगा हाल म.स. 6/14 वार्ड न. 05 जलदाय विभाग के पास हाउसिंग बोर्ड क0 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)जरिए मुखत्यारनामा आम श्रीमती अनुसूया पत्नी स्व. श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन पीलीबंगा हाल म.स. 6/14 वार्ड न. 05 जलदाय विभाग के पास हाउसिंग बोर्ड क0 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
3. हनुमान प्रसाद पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड न. 19, मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
4. श्रीमती मोहरा देवी पुत्री सहीराम पत्नी कृपाल सिंह जाति बिश्नोई साकिन वार्ड न. 06, 17 बीजीपी (बोलावाली) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राजस्थान)।
5. श्रीमती सूरज पुत्री हनुमानप्रसाद पत्नी पंकज बिश्नोई जाति बिश्नोई साकिन ऋशी नगर, हिसार, तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

--प्रतिवादीगण

--: उपस्थित अभिभाषकगण :-

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. श्री करणी सिंह राठौड़ अधिवक्ता | --- वादीगण 1 ता 2 |
| 2. श्री कैलाश सिंह राठौड़ अधिवक्ता | --- प्रतिवादी सं. 1 ता 5 |
| 3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा | --- प्रतिवादी सं. 6 |

निर्णय

दिनांक :- 17/01/2022

वादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से श्री करणी सिंह राठौड़ अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री श्री कैलाश सिंह राठौड़ अधिवक्ता इस वाद में

17.01.2022
राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पीलीबंगा

आज दिनांक 17/01/2022 को रणजीत कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित जाते हैं-

(अ) वादी संख्या 1 विजय कुमार के हक में -

चक 13 पीबीएन के खाता संख्या 144/119 प0न0 29/311(36) की कुल 1.645 है0 (1.570 नहरी + 0.075 खाला) खातेदारी एवं इसी चक के खाता संख्या 143/118 प0न0 29/311(36) की कुल 1.771 है0 (1.556 नहरी + 0.190 रास्ता + 0.025 खाला) खातेदारी एवं चक 15 पीबीएन के खाता संख्या 160/89 प0न0 28/311(3) कि0न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10 की कुल 2.530 है0 (2.354 नहरी + 0.176 रास्ता) खातेदारी कृषि भूमि इस प्रकार दोनों चकों की कुल 5.946 है0 (5.480 नहरी + 0.100 खाला + 0.366 रास्ता) है0 कृषि भूमि।

(ब) वादी संख्या 2 अजय कुमार के हक में -

चक 28 एसटीजी ए के खाता संख्या 111/105 प0न0 40/322(27) की कुल 0.759 है0 (0.684 नाली 0.075 रास्ता) खातेदारी एवं इसी चक के खाता संख्या 126/118 प0न0 40/322(27) की कुल 1.898 है0 (1.848 नाली द्वितीय 0.050 रास्ता) एवं खाता संख्या 110/104 प0न0 40/322(27) की कुल 2.062 है0 (2.012 नाली द्वितीय 0.050 रास्ता) एवं चक 27 एसटीजी के खाता संख्या 101/84 के प0न0 35/315(27) एवं प0न0 36/315(26) की 1.771 है0 (1.746 नाली प्रथम 0.025 रास्ता) खातेदारी कृषि भूमि इस प्रकार दोनों चकों की कुल 6.490 है0 (4.544 नाली द्वितीय 1.746 नाली प्रथम 0.200 रास्ता) कृषि भूमि।


(स) प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्रीमती अनूसुया व आशीष मांझु के हक में-

चक 25 एसटीजी के खाता संख्या 112/93 प0न0 45/311(20) की कुल 6.300 है0 (6.086 नाली प्रथम 0.163 खाला 0.013 कुआ 0.038 मकान) एवं इसी चक के खाता संख्या 111/73 प0न0 47/320(58) की कुल 2.112 है0 नाली द्वितीय एवं खाता संख्या 110/83 प0न0 47/320(58) की कुल 2.100 है0 (नाली द्वितीय) खातेदारी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 10.512 है0 (6.086 नाली प्रथम 4.212 नाली द्वितीय 0.163 खाला 0.013 कुआ 0.038 मकान) कृषि भूमि।

(द) प्रतिवादी संख्या 3 हनुमान प्रसाद के हक में -

चक 15 पीबीएन के खाता संख्या 160/89 प0न0 28/311(8) कि0न0 11 ता 14, 15/1, 15/2 की कुल 1.265 है0 (1.240 नहरी 0.025 रास्ता) खातेदारी कृषि भूमि।


तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन


17.01.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PH.D. THESIS
BY
[Name]
SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
[Date]

करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 17/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।

 17.01.2022

(रणजीवकुमार एव
उपखण्ड अधिकारी एवम् पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा